सरकार के अंग – विधायिका : संसद
(ORGANS OF The Government – Legislature PARLIAMENT)

कार्यपालिका के बाद हम व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। केन्द्र पर उसे संसद (Parliament) कहते हैं। जिसमें राज्यसभा बड़ा, लोकसभा छोटा सदन है। अनुच्छेद 79 के अनुसार, संसद का अर्थ है। राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा इसी को राष्ट्रपति – सहित – संसद कहते हैं। राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि वह सत्र बुलाता है। सत्र का उद्घाटन करता है तथा संसद से पास किए गए बिलों को अपनी अनुमति देकर उन्हें कानून का रूप प्रदान करता है। उल्लेखनीय बात यह है कि हमारी संसद ब्रिटिश संसद की तरह प्रभुता सम्मान नहीं है।

संसद व द्विसदनवाद की आवश्यकता

यह पूछा जा सकता है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था क्यों अपनायी गयी है। इस बारे में निम्न कारणों का उल्लेख किया जा सकता है।

(1) द्विसदनवाद की सार्वभौमिकता — संसद में एक सदन का होना जरूरी है। लेकिन दुनिया के बहुत देशों में द्विसदनवाद स्थापित हो चुका है।

(2) ब्रिटिश राज का अनुभव — 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने संसद की स्थापना की। उसमें राज्य परिषद व केन्द्रीय विधानसभा दो सदन थे।

(3) दूसरे सदन की उपयोगिता — यह माना जा चुका है कि दूसरा सदन पहले सदन की स्थापना की।

(4) संसद की स्थायी सदन — राष्ट्रपति किसी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। यदि लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा संसद के कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है।

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि दो सदन सामान्य इच्छा को अधिक उपयुक्त व्याख्या को सम्भव बना देते हैं। एक सदन, विशेषकर यदि उसके सभी सदस्यगण एक समय पर निर्वाचित हों, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जनता की लोकप्रियता या सहानुभूति खोने की आशंका से ग्रस्त हो सकता है।

राज्यसभा

गठन (Composition) – संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है जो, देश में विज्ञान, साहित्य, कला आदि से विख्यात सदस्य के लिए जाते हैं। प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होने के कारण राज्यों के प्रतिनिधियों की अलग - अलग संख्या है।
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत बारह सदस्यों के अलावा, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। इनके सदस्यों के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। अतः राज्यों की विधानसभाओं का गठन राज्यसभा के गठन को प्रभावित करता है।